

9

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे० डी०-91/759.—मंजूर अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1989 द्वारा 4 की उपधारा (1) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग हरियाणा के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शे में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव के प्राथमिक विद्यालय, जिला फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं :—

अनुबन्ध

जिला फरीदाबाद के गांव आलमपुर में प्राथमिक विद्यालय के आसपास के अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राइंग संख्या डी०टी०पी० (एफ) 1224/90, दिनांक 20 फरवरी, 1990 के साथ पड़ा जाए।

अनुसूची

नक्शे पर अंकित बिन्दु "बी" से लेकर जहां अधिसूचना संख्या ए-66/जे०डी०-89/1972, दिनांक 3 फरवरी, 1989 द्वारा गांव आलमपुर के प्राथमिक विद्यालय के आसपास घोषित/नियन्त्रित क्षेत्र की पूर्वी सीमा, गांव आलमपुर की उत्तरी सीमा से मिलती है, उसके बाद उसी गांव की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व की ओर बिन्दु "ई" तक जो गांव आलमपुर, टीकरी खेड़ा और धौज का सीमा बिन्दु है।

उसके बाद गांव आलमपुर की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर बिन्दु "डी" तक जहां यह उसी गांव की दक्षिणी सीमा से मिलता है।

उसके बाद गांव आलमपुर की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम की ओर बिन्दु "सी" तक जहां यह गांव आलमपुर के प्राथमिक विद्यालय के आसपास पहले ही घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की पूर्वी सीमा से मिलती है।

उसके बाद उक्त नियन्त्रित क्षेत्र की पूर्वी सीमा के साथ-साथ उत्तर-पूर्व की ओर बिन्दु "बी" तक अर्थात् आरम्भ के बिन्दु तक।

तरसेम लाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

## Notification

The 22nd January, 1991

No. JD-91/759.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (b) of section 4 of Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1989 and all other powers enabling him, the Governor of Haryana is pleased to declare the additional area around Primary School, village Alampur, district Faridabad as specified in the plan of boundaries given below and shown on the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:—

## ANNEXURE

Schedule of boundaries of the additional controlled area around Primary School, village Alampur, district Faridabad to be read with the Drawing No. DTP (F) 1224, dated the 20th February,